भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2230

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों के पैनल से बाहर होने की दर

†2230. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में सीजीएचएस के अंतर्गत राज्य-वार कितने अस्पताल पैनलबद्ध किए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में सीजीएचएस के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के पैनल से बाहर होने की राज्य-वार दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार की सीजीएचएस योजना के अंतर्गत दरों या उपचार पद्धतियों को शामिल करने और संशोधित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की देश के किसी राज्य के प्रत्येक जिले में सीजीएचएस चिकित्सा केंद्र खोलने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की देश भर के सीजीएचएस चिकित्सा केंद्रों में कैशलेस उपचार आरम्भ करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध और पिछले पांच वर्षों के दौरान पैनल से बाहर हो चुके स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) की राज्यवार संख्या का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।.

(ग): सरकार ने दिनांक 03.10.2025 को संशोधित सीजीएचएस पैकेज दरों को संसूचित किया है और इन्हें दिनांक 13.10.2025 से प्रभावी कर दिया है।

(घ): सीजीएचएस आरोग्य केंद्र आवश्यकता के आधार पर प्रचालित किए जाते हैं। किसी नए शहर में नया सीजीएचएस आरोग्य केंद्र शुरू करने के लिए कम से कम 2500 मुख्य कार्डधारक या 6000 लाभार्थी होने चाहिए। इसके अलावा, एक नए आरोग्य केंद्र की स्थापना स्वीकृत पदों की उपलब्धता और आवश्यक बजटीय प्रावधानों की स्वीकृति पर निर्भर है, जो व्यय विभाग के दायरे में आता है।

(ङ): सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में उपचार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों, संसद-सदस्यों (पूर्व और वर्तमान दोनों), स्वतंत्रता सेनानियों आदि को सीजीएचएस द्वारा पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों से उपचार प्राप्त करने के लिए कैशलेस सीजीएचएस सुविधा उपलब्ध है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष				
	2021	2022	2023	2024	2025 (01.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	02	22	30	16	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
असम	7	10	18	20	21
बिहार	0	7	11	5	6
छत्तीसगढ़	1	2	5	3	4
गोवा	0	1	0	0	0
गुजरात	6	10	12	11	13
हरियाणा	6	5	13	12	38
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
झारखंड	1	1	10	8	0
कर्नाटक	0	8	3	7	0
केरल	5	0	0	9	6
मध्य प्रदेश	18	13	15	20	6
महाराष्ट्र	67	37	68	74	30
मणिपुर	0	0	0	0	1
मेघालय	0	0	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0
ओडिशा	3	1	0	0	1
पंजाब	19	13	6	3	3
राजस्थान	15	15	15	11	31
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	3	1	9	11	2
तेलंगाना	3	32	20	18	5
त्रिपुरा	0	0	0	1	0
उत्तर प्रदेश	51	51	93	76	62
उत्तराखंड	2	1	4	3	1
पश्चिम बंगाल	21	23	26	35	42
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	8	5	0	0	1
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	3	9	16	189
जम्मू और कश्मीर	2	1	0	1	1
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0

<u>अनुलग्नक-II</u>

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीजीएचएस पैनल से बाहर हुए अस्पतालों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष				
	2021	2022	2023	2024	2025 (01/11/2025 तक की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	1	0
बिहार	0	0	0	0	3
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	1	0
गुजरात	2	3	1	2	2
हरियाणा	1	1	0	0	1
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	1
कर्नाटक	4	4	5	0	6
केरल	0	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	0	2	2	2
महाराष्ट्र	2	1	7	3	5
मणिपुर	0	0	0	0	0
मेघालय	1	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0	1
पंजाब	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	4	0	1	0
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	4	1	3	1	0
तेलंगाना	0	0	0	0	3
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	1	1	2	15
उत्तराखंड़	1	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	2	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	3	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	4	2	0	3
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0

*****